न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 107 / 25 दायर दिनांकः 02.07.2025
जीसीएमएस नं. 2025 / 303

उनवान

1 योगेश कुमार अग्रवाल पुत्र मुरारीलाल जाति वैश्य नि. कस्बा भुसावर 2 सरोज पत्नि शिवचरन जाति वैश्य नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादीगण

बनाम

1 जगदीश पुत्र परमल जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलां 2 टीकेन्द्रसिंह 3 वीरेन्द्रसिंह पुत्रान जगदीश जातियान जाट नि. नाथू का नंगला तह. भुसावर 4 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री चन्द्रशेखर तिवारी ——वादीगण
2 श्री सुरेन्द्र चौधरी ——प्रति.सं. 1

निर्णय दिनांक 11.02.2026

वादीगण वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 18 / 2155 रकबा 0.41 हैक्टे. वाके ग्राम सलैमपुर खुर्द तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 योगेश कुमार अग्रवाल 1 / 4 हिस्से का, वादिनी संख्या 2 सरोज 1 / 4 हिस्से की, प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश 1 / 4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 टीकेन्द्रसिंह 1 / 8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 वीरेन्द्र 1 / 8 हिस्से के काबिज काश्तकार एवं खातेदार है तथा इसी प्रकार से मौके पर काबिज रहकर शान्तिपूर्वक काश्त करते हुए राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे हैं।

आराजी खसरा नंबर 18 / 2155 रकबा 0.41 हैक्टे. की आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त काश्तकारी की अविभाजित आराजी है, जिसका विभाजन अभी तक वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाई मीटस एण्ड बाउण्ड नहीं हुआ है। परन्तु मौके पर आराजी का बाहमी मनवट करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो वादी को उसके निहित हिस्से की आराजी पर पूरा पूरा लाभ प्राप्त नहीं होने देते है व अच्छी अच्छी एवं मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर किसी दीगर व्यक्तियों के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए वादीगण को उनके निहित हिस्से की अच्छी व मौके की आराजी से बेदखल कर महरूम करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण को बिना विभाजन कराये अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर दीगर व्यक्तियों के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

दिनांक 18.06.2025 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से आराजी का कानूनी विभाजन कराने के लिए कहा, तो प्रतिवादीगण ने विभाजन से इंकारी करते हुए धमकी दी कि हम तो अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर किसी दीगर व्यक्तियों के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए तुझे तेरे

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

हिस्से की अच्छी व मौके की आराजी से बेदखल होकर हमेशा के लिए महरूम कर देगे, और तुम्हें आराजी का उपयोग व उपभोग नहीं करने देंगें। अतः वादीगण वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन करा पाने के अधिकारी है।

वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब श्री सुरेन्द्र चौधरी एड. द्वारा पेश किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 की ओर से बाद तामील कोई उपस्थित नहीं आया। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया।

अतः दावा वादीगण प्रारंभिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2026/706 दिनांक 09.02.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक/भू.अ./2026/706 दिनांक 09.02.2026 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 107 / 25 दायर दिनांक: 02.07.2025
जीसीएमएस नं. 2025 / 303

उनवान

1 योगेश कुमार अग्रवाल पुत्र मुरारीलाल जाति वैश्य नि. कस्बा भुसावर 2 सरोज पत्नि शिवचरन जाति वैश्य नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादीगण

बनाम

1 जगदीश पुत्र परमल जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलां 2 टीकेन्द्रसिंह 3 वीरेन्द्रसिंह पुत्रान जगदीश जातियान जाट नि. नाथू का नगला तह. भुसावर 4 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री चन्द्रशेखर तिवारी	——वादीगण
2 श्री सुरेन्द्र चौधरी	——प्रति.सं. 1

डिक्री दिनांक 11.02.2026

तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक / भू.अ. / 2026 / 706 दिनांक 09.02.2026 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)